projects have recommended a power station in Maharashtra;

(b) if so, whether Government have accepted the proposal; and

(c) what is the total expenditure involved in the setting up of the three power projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) to (c) Several power generating projects, including a proposed super thermal project (1000 MW) at Chandrapur in Maharashtra, have been identified for implementation by the National Thermal Power Corporation (NTPC). As per the feasibility report formulated by the Corporation, the proposed project is estimated to cost Rs. 1424.87 crores. An investment decision could be taken only after all the inputs such as coal, environmental clearance and financial resources etc. have been tied up.

Study report on onserving power in Maharashtra

517. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government had directed the Rural Electrification Corporation to explore the possibility of conserving power in Maharashtra;

(b) if so, what are the salient features of the Report of the Study conducted by the Corporation; and

(c) if not, whether Government propose to conduct any study in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no such proposal at present.

देश मे नमक का उत्पादन

518. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे प्रत्येक राज्य द्वारा नमक का उत्पादन कितना-कितना होता है; इसके उत्पादन और बिक्री पर कितना केन्द्रीय कर लगाया जाता है; सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य से कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ;

(ख) नमक को पकाने के काम में लगे हुये मजदूरों के कल्याण पर प्रत्येक राज्य कितनी राशि खर्च करता है तथा किन-किन क्षेत्रों मे इस प्रकार की राशि खर्च की जाती है ;

(ग) क्या उनकी स्थिति के सुधार के संबध में कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पश्चिमी क्षेत्र में नमक आयुक्त कार्यालय किस स्थान पर स्थित है और इसे गुजरात में कब स्थानान्तरित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) वर्ष 1987 के दौरान तथा मई, 1988 तक राज्यवार नमक का उत्पादन विवरण–I में दिया गया है । **(नीचे देखिये)** नमक के उत्पादन पर कोई भी केन्द्रीय कर नहीं लगाया जाता है । केन्द्र सरकार नमक उपकर अधिनियम, 1953 के अधीन नमक पर उपकर लगाती है । यह उपकर नमक बनाने के स्थान से नमक ले जाते समय निर्माताओं द्वारा दिया जाता है । नमक उपकर वसूली से सम्बधित आंकड़े क्षेत्रवार रखे जाते हैं । इसके ब्यौरे विवरण–II में दिये गये हैं । **(नीचे दखिये)**

(ख) नमक निर्माण में लगे हुये मजदूरों के कल्याण पर हुये खर्च के ब्यौरे